

अध्याय १

प्रस्तावना

# अध्याय 1 – प्रस्तावना

## 1.1 बजट की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश राज्य में 65 विभाग हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि में राज्य सरकार का वर्षवार बजट अनुमान एवं उसके सापेक्ष वास्तविक व्यय की स्थिति सारणी 1 में दी गई है:

**सारणी 1: वर्ष 2011–16 की अवधि में राज्य सरकार का बजट अनुमान एवं व्यय**

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	बजट अनुमान	वास्तविक								
<b>राजस्व व्यय</b>										
सामान्य सेवायें	52,787.37	52,946.92	62,175.69	59,906.72	64,697.36	61,983.49	74,325.18	64,305.73	80,923.25	72,227.92
सामाजिक सेवायें	51,259.27	47,390.94	59,081.49	53,300.32	65,749.29	60,756.28	75,478.78	60,905.78	84,969.91	82,486.46
आर्थिक सेवायें	20,290.65	18,292.21	23,639.78	21,337.36	26,393.20	25,710.72	36,582.55	34,885.24	39,686.37	47,881.29
सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,308.25	5,255.10	6,244.67	6,179.24	9,777.74	9,696.38	11,038.37	10,930.57	10,176.65	10,140.28
<b>योग (1)</b>	<b>1,29,645.54</b>	<b>1,23,885.17</b>	<b>1,51,141.63</b>	<b>1,40,723.64</b>	<b>1,66,617.59</b>	<b>1,58,146.87</b>	<b>1,97,424.88</b>	<b>1,71,027.32</b>	<b>2,15,756.18</b>	<b>2,12,735.95</b>
<b>पूँजीगत व्यय</b>										
पूँजीगत परिव्यय	25,959.72	21,573.96	26,147.20	23,834.29	30,052.82	32,862.65	55,986.16	53,297.28	63,154.26	64,422.72
ऋण एवं अग्रिम संवितरण	1,240.15	975.57	1,167.73	1,003.24	1,779.71	1,473.34	1,909.67	1,872.64	2,792.99	9,117.91
लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	8,397.88	8,287.61	8,821.50	8,909.04	8,097.86	8,166.74	19,383.88	9,411.21	20,983.89	17,672.76
आकस्मिकता निधि	-	309.64	-	262.45	-	86.55	-	203.15	-	44.07
लोक लेखा संवितरण	-	1,30,970.76	-	1,29,471.51	-	2,20,459.29	-	2,28,014.45	-	2,64,293.87
अंतिम रोकड़ शेष	-	13,446.70	-	15,172.42	-	4,020.63	-	(-)401.32	-	-200.21
<b>योग (2)</b>	<b>- 1,75,564.24</b>		<b>- 1,78,652.95</b>		<b>- 2,67,069.20</b>		<b>- 4,85,819.01</b>		<b>- 3,55,351.12</b>	
<b>कुल योग (1+2)</b>	<b>- 2,99,449.41</b>		<b>- 3,19,376.59</b>		<b>- 4,25,216.07</b>		<b>- 6,56,846.33</b>		<b>-</b>	

(स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के व्याख्यात्मक मेमोरेण्डम)

## 1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

कुल बजट परिव्यय ₹ 2,81,703 करोड़ के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 2,86,277 करोड़ था। वर्ष 2015–16 की अवधि में राज्य का कुल व्यय<sup>1</sup> ₹ 2,26,197 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,86,277 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2014–15 के ₹1,71,027 करोड़ से 24 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,12,736 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–16 की अवधि में आयोजनेतर राजस्व व्यय ₹ 1,01,269 करोड़ से 67 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,69,485 करोड़ हो गया तथा पूँजीगत व्यय ₹ 21,574 करोड़ से 199 प्रतिशत बढ़कर ₹ 64,423 करोड़ हो गया।

<sup>1</sup> कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्पत्ति शामिल हैं।

वर्ष 2011–12 में राज्य में हुए कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 84 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में घटकर 74 प्रतिशत हो गया जबकि 2011–16 की अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 23 प्रतिशत रहा। वर्ष 2011–16 की अवधि में हुए कुल व्यय में औसत वृद्धि दर 17 प्रतिशत थी जबकि राजस्व प्राप्तियों में औसत वृद्धि दर 15 प्रतिशत थी।

### 1.3 सतत् बचतें

विगत पाँच वर्षों में 16 अनुदानों से संबंधित 18 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की सतत् बचतें हुईं। सतत् बचतों का विवरण सारणी 2 में दिया गया है:

**सारणी 2: सतत् बचतें दर्शाने वाले अनुदान**

क्र. सं.	अनुदान सं०	अनुदान का नाम	बचतों की धनराशि					(₹ करोड़ में)
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
<b>राजस्व—दत्तमत</b>								
1	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	766.37	644.92	596.10	425.39	438.74	
2	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	134.31	103.79	201.09	399.75	208.61	
3	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	211.63	907.53	462.21	2,368.27	3,117.69	
4	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	145.70	403.79	471.31	672.14	938.53	
5	37	नगर विकास विभाग	625.51	238.51	654.69	2,762.12	1,390.72	
6	42	न्याय विभाग	172.36	178.52	223.31	330.65	329.12	
7	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	636.11	372.97	271.58	370.04	1,058.88	
8	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	238.54	681.45	1,041.27	1,265.68	1,384.03	
9	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	888.00	1,865.81	2,567.23	4,390.54	3,229.85	
10	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	582.87	1,276.77	874.11	787.75	918.15	
11	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	745.76	816.09	348.28	422.39	278.80	
12	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	792.46	1,762.10	1,315.74	2,509.94	2,306.78	
13	94	सिंचार्व विभाग (निर्माण)	504.35	198.79	738.76	745.95	766.33	
योग			6,443.97	9,451.04	9,765.68	17,450.61	16,366.23	
<b>पूँजीगत—दत्तमत</b>								
14	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	100.86	177.73	470.53	286.17	533.67	
15	26	गृह विभाग (पुलिस)	488.36	363.24	126.51	110.84	282.44	
16	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	373.36	164.73	148.22	640.44	635.44	
17	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	415.46	588.84	524.04	1,634.76	1,357.70	
योग			1,378.04	1,294.54	1,269.30	2,672.21	2,809.25	
<b>पूँजीगत—भारित</b>								
18	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा एवं अन्य व्यय)	9,999.25	9,934.16	9,840.02	9,971.46	3,711.90	
योग			9,999.25	9,934.16	9,840.02	9,971.46	3,711.90	

(स्रोत: संदर्भित वर्षों के विनियोग लेखे)

## 1.4 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण सारणी 3 में दिया गया है:

**सारणी 3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	4,396.73	4,341.00	7,933.79	6,808.88	8,273. 90
राज्य योजनाओं के लिए अनुदान	6,813.40	5,518.39	6,595.22	6,576.02	1,933.17
केन्द्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	212.45	12.31	225.90	17.37	16.30
केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए अनुदान	6,337.44	7,466.09	7,650.26	19,289.20	21,637.97
<b>कुल योग</b>	<b>17,760.02</b>	<b>17,337.79</b>	<b>22,405.17</b>	<b>32,691.47</b>	<b>31,861.34</b>
पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि / कमी की प्रतिशतता	15.07	(-)2.38	29.22	45.91	(-) 2.54
राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	13.57	11.88	13.32	16.90	14.03

(स्रोत: संदर्भित वर्षों के वित्त लेखे)

## 1.5 उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये

राज्य सरकार नियम (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर 396 एच) में निर्दिष्ट है कि यदि विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदान धनराशि स्वीकृत की जाती है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने चाहिए जिनका सत्यापन कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रसारित किया जाना चाहिए। उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने से यह सुनिश्चित करना मुश्किल था कि अवमुक्त धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु किया गया है। 31 मार्च 2016 तक अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र की स्थिति सारणी 4 में दी गयी है।

**सारणी 4: अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र**

अवधि	प्रतीक्षित उपभोग प्रमाण–पत्र की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2013–14 तक	3,61,489	1,00,539.80
2014–15	18,440	19,914.15
2015–16	19,630	25,847.63
<b>योग</b>	<b>3,99,559</b>	<b>1,46,301.58</b>

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

सारणी 4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के अंत तक पर्याप्त धनराशि से संबंधित उपभोग प्रमाण–पत्र बड़ी संख्या में अवशेष थे।

उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने के प्रमुख प्रकरण सामाजिक कल्याण विभाग (49,349 प्रकरण—₹ 22,104 करोड़), प्राथमिक शिक्षा विभाग (45,107 प्रकरण—₹ 19,818 करोड़), पंचायती राज (10,937 प्रकरण—₹ 18,287 करोड़), विद्युत विभाग (186 प्रकरण—₹ 18,065 करोड़), तथा सामाजिक कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण (29,767 प्रकरण—₹ 14,181 करोड़) से संबंधित हैं। ये कुल अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्रों का 63 प्रतिशत हैं।

नमूना जाँच (सितम्बर 2016) के दौरान कृषि एवं सामाजिक कल्याण विभाग में उपभोग प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न किये जाने के दृष्टांत देखे गये। विभाग द्वारा बताया गया कि उपयोग प्रमाण—पत्रों के संग्रहण का कार्य प्रक्रिया में है। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने उपभोग प्रमाण—पत्रों के संग्रहण एवं उन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नियत समय के भीतर प्रेषित किए जाने के कार्य का अनुपालन नहीं किया।

### 1.6 राज्य की आर्थिक स्थिति

राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति के निर्धारण के लिए विभिन्न मानक जैसे राजकोषीय घाटा एवं राजकोषीय देयताएँ, महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि में इन मानकों के साथ उनकी विकास दर की स्थिति सारणी 5 में दी गयी है।

**सारणी 5 राज्य की आर्थिक स्थिति**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 15,433	(-) 19,238	(-) 23,680	(-) 32,513	(-) 58,475
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.13	(-) 2.34	(-) 2.51	(-) 3.12	(-) 5.07
राजकोषीय घाटा की विकास दर (प्रतिशत में)	13 (1,23,885)	25 (1,40,724)	23 (1,58,147)	37 (1,71,027)	80 (2,12,736)
राजकोषीय देयताएँ	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
राजकोषीय देयताएँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34	32	30	30	32
राजकोषीय देयताएँ की विकास दर (प्रतिशत में)	8	7	9	9	19
राजकोषीय देयताएँ/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	186	178	167	159	162

(स्रोत: संदर्भित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 की अवधि में राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के 5.07 प्रतिशत था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत से 2.07 प्रतिशत अधिक था। राजकोषीय घाटा की वृद्धि दर वर्ष 2011–12 के मात्र 13 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 में 80 प्रतिशत थी जो बढ़े हुए राजकोषीय असंतुलन को दर्शाती है। राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर का कारण था— उच्च राजस्व व्यय एवं आर्थिक सेवाओं के आवंटन में हुई वृद्धि जो मुख्यतः यू.डी.ए.वाई. योजना की देयताओं को पूरा करने से हुई थी। ₹ 58,475 करोड़ का राजकोषीय घाटा बढ़ी हुई बाजार उधारियों तथा वित्तीय संस्थानों आदि से ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। 2011–15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी जो वर्ष 2011–12 के 186 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 159 प्रतिशत रही। यद्यपि, वर्ष 2015–16 में यह अनुपात थोड़ा बढ़कर 162 प्रतिशत हो गया था तथापि उच्च राजस्व प्राप्तियों के कारण बेहतर ऋण संवहनीयता को दर्शाता है।

### 1.7 लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं आदि में निहित व्यय, क्रियाकलापों की निर्णयाकता/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण करने, हितधारकों के प्रयोजनों एवं विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधरित कर जोखिम के आकलन करने से प्रारम्भ होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति एवं उसका क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों सहित कार्यालय प्रमुख को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि निष्कर्षों के उत्तर एक माह के अन्दर प्रस्तुत किए जायें। उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को या तो निस्तारित किया जाता है अथवा उसके अनुपालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाये गये लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रसंस्कृत रूप में सम्मिलित करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2015–16 की अवधि में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के 1,651 आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं 139 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा (उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन), एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण) एवं तीन लेखापरीक्षाओं (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006<sup>2</sup>, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा एवं उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन) हेतु भी लेखापरीक्षा निष्पादित की गई थी।

### 1.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति शासन की अभिरुचि का अभाव

प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश शासन के विभागों का समय–समय पर निरीक्षण कर, लेन–देनों की नमूना–जाँच द्वारा सत्यापित करते हैं कि महत्वपूर्ण लेखा एवं अन्य अभिलेखों के रख–रखाव निर्धारित नियमों एवं पद्धति के अनुसार किया गया है। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई महत्वपूर्ण अनियमिततायें जब लेखापरीक्षित इकाइयों के स्तर पर निस्तारित नहीं हो पाती हैं, तब उन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षित कार्यालय के प्रमुखों को प्रेषित किया जाता है, जिनकी एक प्रति उनके उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की जाती है।

कार्यालय के प्रमुख एवं उनके उच्च अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) को प्रेषित किया जाना चाहिए। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) द्वारा प्रमुख सचिव (वित्त) को भेजे गये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से गम्भीर अनियमितताएँ, विभागों के प्रमुखों के संज्ञान में लायी जाती हैं।

लेखापरीक्षा जाँच के परिणामों के आधार पर 8,145 निरीक्षण प्रतिवेदनों<sup>2</sup> में निहित 31,638 लेखापरीक्षा निष्कर्ष 31 मार्च 2016 तक लम्बित थे। वर्ष 2015–16 में लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की गई थीं जिसमें कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन निस्तारित नहीं किये गये तथा 15 प्रस्तर निस्तारित किये गये थे।

विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित निष्कर्षों पर निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यवाही नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

<sup>2</sup> 30 सितम्बर 2014 तक निर्गत एवं 31 मार्च 2015 तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रस्तर सम्मिलित है।

इस सम्बन्ध में यह संस्तुति की जाती है कि शासन को प्रकरण की जाँच करनी चाहिए जिससे कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति तत्काल एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

### 1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमानुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित होने वाले सभी लेखापरीक्षा प्रस्तरों एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्यवाही करने की पहल करनी चाहिए, चाहे वे लोक लेखा समिति द्वारा जाँच हेतु लिए जाते हैं अथवा नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित विस्तृत टिप्पणी एवं उनके द्वारा उठाये गये उपचारी कदम या प्रस्तावित कदम के साथ प्रस्तुत करने थे। हालांकि, 31 मार्च 2015 के अंत तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों के संदर्भ में 683 एकशन टेकेन नोट की प्राप्तियाँ 31 अगस्त 2016 तक लम्बित थीं।

### 1.10 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति शासन का रुझान (आलेख्य प्रतिवेदन प्रस्तरों पर)

विगत कई वर्षों से लेखापरीक्षा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित/सूचित गया है जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसका उद्देश्य विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं का लेखा-परीक्षण करना तथा कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाही करने एवं नागरिकों को सुपुर्द सेवाओं में सुधार लाने के लिए उचित सुझाव देना था।

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नियमन, 2007 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित आलेख्य प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों पर अपने प्रत्युत्तर एक माह के अंदर प्रेषित किये जाने की अवश्यकता थी। यह उनके व्यक्तिगत संज्ञान में लाया गया था कि प्रस्तरों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित कर राज्य विधायिका के समक्ष रखा जायेगा तथा इंगित प्रकरणों पर उनके द्वारा टिप्पणी भेजा जाना वांछित था। उन्हें आलेख्य प्रतिवेदनों पर प्रधान महालेखाकार के साथ परिचर्चा किए जाने हेतु भी सुझाव दिया गया था। प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित आलेख्य प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों को संबंधित विभागों के मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके प्रत्युत्तर हेतु अग्रसारित किया गया था।

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा (उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन), एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण) एवं तीन लेखापरीक्षाओं (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006', अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा एवं उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन) की आलेख्य प्रतिवेदन एवं 26 आलेख्य प्रस्तरों को संबद्ध विभाग के प्रशासनिक सचिवों को प्रेषित किया गया था तथा सभी प्रकरणों पर शासन के साथ परिचर्चा भी हुई किन्तु लेखापरीक्षा में बाबबार अनुरोध किये जाने के बावजूद प्रमुख सचिवों द्वारा उपस्थिति की पुष्टि न किये जाने की स्थिति में आलेख्य प्रस्तर 3.8 पर परिचर्चा नहीं हो सकी।